केन्द्रीय मुहर विभाग -2

हमारा संदर्भ: CMD-2/16:2508

30 05 2019

विषय: IS 2508:2016 (संशोधन संख्या 1 सहित) की अनुपालन तिथि मे 31 अगस्त 2019 तक विस्तार

- 1. यह उपरोक्त विषय के संदर्भ मे है।
- 2. इस विषय में CMD-2 के परिपत्र CMD-2/16:2508 दिनांक 2 नवंबर 2018 पर भी संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसके अनुसार 1S 2508:2016 (संशोधन संख्या 1 सहित) की अनुपालन तिथि में 30 मई 2018 से 30 मई 2019 तक विस्तार किया गया था।
- 3. इस विषय में यह सूचित किया जाता है की IS 2508:2016 (संशोधन संख्या 1 सहित) की अनुपालन तिथि का अब सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, **30 अगस्त 2019** तक विस्तार किया गया है।
- 4. सभी शाखा कार्यालयों से निवेदन है की लाइसेंसधारियों व निवेदकों को इस विषय मे अवगत कराया जाए।

(आदित्य दास) वैज्ञानिक सी

प्रमुख सी एम डी-2 उपमहानिदेशक (प्रमाणन) सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय/प्रयोगशालाएँ/पीसीडी/एलपिपिडी

प्रतिलिपि:

आई टी एस विभाग – इंट्रानेट माध्यम से परिचालन हेतु

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16:2508 30 May 2019

Subject: Extension in date of implementation of IS 2508:2016 (with amendment no. 1) to 31 August 2019

- 1. This has reference to the above.
- 2. Reference is also invited to CMD-2's circular no. CMD-2/16:2508 dated 2 Nov 2018 informing that the last date of implementation of IS 2508:2016 (with amendment no. 1) has been extended from 30 May 2018 to 30 May 2019.
- 3. In this context, it is informed that the last date of implementation of IS 2508:2016 (with amendment no. 1) has now been further extended by the Competent Authority, up to **31 August 2019**.
- 4. All BOs are requested to bring the above matter to the attention of licensees and applicants.

(Aditya Das) Sc. C

HCMD-2 DDG (Cert.) ROs/BOs/Labs/PCD/LPPD

Copy to:

ITSD - with a request for hosting in BIS intranet